# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

## पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या – 2/2020

जी.सी.एम.एस नम्बर – 2020/00004

| अपीलांट्सः– | बनाम | रेस्पोंडेंट्सः– |
|---|---|---|
| 1. बाबु चौधरी पुत्री जेठाराम<br>2. जगली देवी पुत्री जेठाराम<br>3. चौधरी वरजुबैन पुत्री जेठाराम<br>4. रूकमणी पुत्री जेठाराम जातिगण सीरवी (जणवा चौधरी) निवासीगण फालना गांव, तहसील बाली जिला पाली (राज.) | | 1. तहसीलदार, बाली जिला पाली (राज.)<br>2. मगाराम पुत्र जेठाराम जाति सीरवी (जणवा चौधरी) निवासी फालना गांव, तहसील बाली जिला पाली (राज.) |

उपस्थितिः–

1. श्री गणपत लाल चौधरी, श्री लक्ष्मण के चौधरी, विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट्स
2. श्री कमलेश चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2

**अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 994 दिनांक 15–01–2013 जो तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत को निरस्त कराने बाबत्**

–:आदेशः– दिनांक 02-09-2021

अपीलांट्स ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फालना गांव, भू. अभिलेख निरीक्षक खुडाला, तहसील बाली में अपीलाण्ट्स व उसके सहखातेदारों की संयुक्त खातेदरी कृषि भूमि खसरा नंबर 467 व अन्य कुल कीता 25 रकबा 5.42 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 218.94 आयी हुई स्थित है। जिस भूमियों में अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता जेठा पुत्र भीमाजी वगैरा, का नाम भी बहैसियत खातेदार के 1/12 हिस्से में दर्ज रहा है। जेठा पुत्र भीमाजी की मृत्यु होने पर उनके वारिसान् के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 994 दिनांक 15.01.2013 के द्वारा दर्ज किया गया। जिसमें पटवारी हल्का ने म्युटेशन भरते समय लिखा कि जेठा पुत्र भीमाजी की मृत्यु होने पर जायन्दे वारिसान के नाम नामान्तरकरण दारय कर वास्ते जांच एवं एवं फैसले हेतु श्रीमान की सेवामें सादर पेश है। उक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का फालना गांव द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में भरा जाकर भू अभिलेख निरीक्षक खुडाला के पास जांच हेतु भेजा। जिन्होने बाद जांच अपनी रिपोर्ट कि जांच किया सही पाया उसके बाद नामान्तरकरण को स्वीकृति हेतु तहसीलदार बाली के पास भेज दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरते समय उत्तराधिकारी के तौर पर अपीलाण्ट्स बाबु चौधरी की जगह बाबू, जगली देवी की जगह जगी, चौधरी वरजुबैन की जगह वरजु, रूकमणी की जगह रकमों के नाम का इन्द्राज नामान्तरकरण में दर्ज कर दिया। जबकि अपीलाण्ट के नाम आधार कार्ड,

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

पेनकार्ड में क्रमशः बाबु चौधरी, जगली देवी, चौधरी वरजुबैन, रूकमणी पुत्री जेठाराम के रूप में नाम नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलाण्ट्स के नाम अपने पिता जेठाराम पुत्र भीमाजी के मृत्यु के बाद भरे गये विरासत के नामान्तरकरण संख्या 994 दिनांक 15.01.2013 को जो नामान्तरकरण भरा गया जो गलत नाम से भर दिया गया है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 994 में बाबु, जगी, वरजु, रकमो पुत्रीयां जेठाराम की जगह बाबु चौधरी, जगली देवी, चौधरी वरजुबैन, रूकमणी पुत्री जेठाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

2. अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के दौराने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम फालना गांव तहसील बाली के खसरा नं. 467 व अन्य कुल कीता 25 रकबा 5.42 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 218.94 की कृषि भूमि अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता जेठा पुत्र भीमाजी व अन्य सह–खातेदारों की राजस्व रेकर्ड अनुसार आई हुई थी। जिसमें जेठा पुत्र भीमाजी का 1/12 वां हक–हिस्सा खातेदारीसुदा दर्ज रहा है। जेठा पुत्र भीमा की मृत्यु होने पर उनके वारिसान् के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 994 दिनांक 15.01.2013 के दर्ज किये गये इस दोहराने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के चलते राजस्व कर्मचारियों द्वारा आनन–फानन में बिना किसी विधिक जांच पड़ताल किये व सुने बिना, अपीलाण्ट के पक्ष में सरकारी/अर्द्धसरकारी जारी वैद्य दस्तावेजात–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व बैंक डायरी के प्राप्त किये एवं देखे बिना हीं अपनी मर्जी से लोगों द्वारा पुछ कर स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले नामों के आधार पर गलत नाम दर्ज करते हुये अपीलाधीन फौतेदगी नामान्तरकरण भर दिया, जिसकी भू–अभिलेख निरीक्षक ने बिना जांच किये रेकर्ड से मिलान कर उसे सहीं होना मानकर अपनी रिपोर्ट कर दी और उसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार बाली ने अपीलाण्ट्स को सुने बिना हीं उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट्स के गलत व दस्तावेजों से भिन्न नाम दर्ज हो जाने से अपीलाण्ट्स हाल हीं में राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा काश्तकारो को दी जाने वाली सहायता/अनुदान से वंचित होना पड़ रहा है तथा पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरते समय उत्तराधिकारी के तौर पर अपीलाण्ट्स बाबु चौधरी की जगह बाबू, जगली देवी की जगह जगी, चौधरी वरजुबैन की जगह वरजु, रूकमणी की जगह रकमों के नाम का इन्द्राज नामान्तरकरण में दर्ज कर दिया। जबकि अपीलाण्ट के नाम आधार कार्ड, पेनकार्ड में क्रमशः बाबु चौधरी, जगली देवी, चौधरी वरजुबैन, रूकमणी पुत्री जेठाराम के रूप में नाम नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलाण्ट्स के नाम अपने पिता जेठाराम पुत्र भीमाजी के मृत्यु के बाद भरे गये विरासत के नामान्तरकरण संख्या 994 दिनांक 15.01.2013 को जो नामान्तरकरण भरा गया जो गलत नाम से भर दिया गया है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 994 में बाबु, जगी, वरजु, रकमो पुत्रीयां जेठाराम की जगह बाबु चौधरी, जगली देवी, चौधरी वरजुबैन, रूकमणी पुत्री जेठाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 994 Ab initio Void and Honest होने से निरस्त करने योग्य है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के समर्थन में कथन करते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज कर पुनः अपीलाण्ट्स के नाम सुधार कर भरा जाता है तो उसमें उसको कोई आपत्ति नहीं है।

7. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। अपील में जैर नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट्स के गलत नाम इन्द्राज करने एवं उसके रहते सरकारी सहायता/अनुदान के हक–अधिकारों के वंचित होने का प्रश्न होने से गुणावगुण पर निर्णय की जाता है। ग्राम फालना गांव, तहसील बाली के हाल खसरा नम्बर 467 व अन्य कुल कीता 25 रकबा 5.42 हैक्टेयर की आराजी अपीलाण्ट के पिता जेठा पुत्र भीमाजी की 1/12 वां हक–हिस्से की खातेदारीसुदा रहीं है एवं इनकी मृत्यु के बाद विरासत का उक्त जैर नामान्तरण संख्या 994 भरा गया है उस समय पटवारी हल्का को जेठा पुत्र भीमाजी के वारिसाने के नामों के विधिक दस्तावेज प्राप्त कर एवं देखकर उनकी सहीं जांच कर जैर अपील म्यूटेशन स्वीकृत किया जाना था जो नहीं किया गया साथ हीं तहसीलदार बाली द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के समय विधिक वारिसानों के नाम इन्द्राज के सम्बन्धित दस्तावेजों की जांच कर उनको सुनते हुये विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृत करना था। जिसकी पालना नहीं की गई है। जिससे अपीलाण्ट्स अपने पिता की सम्पत्ति से प्राप्त विधिक हक–अधिकारों से वंचित हो रहें है। इस कारण से जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। मौजा ग्राम फालना गांव तहसील बाली का स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 994 दिनांक 15.01.2013 तहसीलदर बाली द्वारा स्वीकृत किया गया है को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकार को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का का प्रर्याप्त अवसर देकर तथा उनके नाम से संबंधित दस्तावेजों की सहीं जांच कर, विधि सम्मत तरीके से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। तहसीलदार, बाली को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति. जिला कलक्टर (सीविल)
बाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 02-09-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीविल)
बाली (राज.)